

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक:प.29(01)न्याय/2015Part1

::आज्ञा::

जयपुर, दिनांक 09 JUL 2026

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों में कार्यरत निम्नांकित कार्मिकों के स्थानान्तरण/पदस्थापन प्रशासनिक आधार पर तुरंत प्रभाव से किये जाते हैं।

क्र.स.	नाम (सर्व श्री/सुश्री/ श्रीमती)	वर्तमान पदस्थापन स्थान	नव पदस्थापन स्थान	विशेष विवरण
1.	धर्माराम	वरिष्ठ सहायक मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, झुंझुनू	कनिष्ठ सहायक के पद विरुद्ध, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, सीकर	रिक्त पद पर
2.	सुनील कुमार	कनिष्ठ सहायक, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बाड़मेर	कनिष्ठ सहायक, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, पाली	रिक्त पद पर
3.	यादवेन्द्र कुलदीप	कनिष्ठ सहायक, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, कम संख्या 2 भीलवाड़ा (हाल कार्यव्यवस्था सीकर)	कनिष्ठ सहायक, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, झुंझुनू	रिक्त पद पर
4.	संजय खान	कनिष्ठ सहायक, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बीकानेर	कनिष्ठ सहायक, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, सीकर	रिक्त पद पर
5.	दीवान सिंह	कनिष्ठ सहायक, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, कम संख्या 2, बूंदी	कनिष्ठ सहायक, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बीकानेर	श्री संजय खान के स्थान पर
6.	प्रवीण कुमार वर्मा	कनिष्ठ सहायक, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बीकानेर	कनिष्ठ सहायक, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, झुंझुनू	रिक्त पद पर
7.	गिरधारी लाल महावर	कनिष्ठ सहायक, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, कम संख्या 1 कोटा	कनिष्ठ सहायक, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, सवाईमाधोपुर	रिक्त पद पर
8.	महिपाल गरासिया	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बांसवाड़ा	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, कम संख्या 1 कोटा	रिक्त पद पर
9.	राहुल चौबीसा	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बांसवाड़ा	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, कम संख्या 2 कोटा	रिक्त पद पर

आज्ञा से

(आशीष कुमार कुमावत)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव प्रमुख शासन सचिव विधि।
3. संबंधित मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कार्मिक को तुरन्त प्रभाव से कार्यमुक्त करने का श्रम करावें।
4. संबंधित कार्मिक को प्रेषित कर लेख है कि 3 दिवस में हर स्थिति में कार्यमुक्त होकर अथवा अधिकरण द्वारा कार्यमुक्त नहीं करने की स्थिति में बिना कार्यमुक्त हुए नवपदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करें।
5. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव